प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 28.07.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना बखिरा पुलिस** द्वारा 01 वारण्टी नाम पता मकालू पुत्र स्वामीनाथ साकिन बढ़या बाबू थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजकुमार मिश्रा, कां0 अमरजीत यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 185 वाहनों से 3,68,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 28.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 185 वाहनों से 3,68,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुधारा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 268/2025 धारा 85,108,115(2),352 बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त नाम पता राकेश लोध पुत्र रामविशुन निवासी बौलिया सेमरियावाँ थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर को आज दिनाँक 28.07.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 27.07.2025 को थाना दुधारा पर वादी द्वारा प्रार्थाना पत्र दिया कि मेरी पुत्री अपने पती के प्रताड़ना व उलाहना से अजिज आकर दिनांक 25.07.2025 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके संबंध में थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 28.07.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, हे0का0 अरविन्द कुमार यादव, का0 राधेश्याम गिरी।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जालसाजी/धोखाधड़ी कर मूल्य समर्थन योजना अन्तर्गत धान खरीद वर्ष 2023/24 में जनपद में क्रय मात्रा के सापेक्ष शत प्रतिशत सम्प्रदान न कराकर संघ को आर्थिक क्षति पहुँचाने के मामले में मामले मे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 **684**/20**24** धारा **3/7 ईसी एक्ट व धारा 409 भादवि** में वांछित अभियुक्त नाम पता महेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र बाबूराम निवासी 107 गोदावरी स्टेट सिविल लाइन पिलीभित थाना पिलीभित जनपद पिलीभीत को आज दिनाँक 28.07.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता

महेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र बाबूराम निवासी 107 गोदावरी स्टेट सिविल लाइन पिलीभित थाना पिलीभित जनपद पिलीभीत।

विवरण-

विदित हो की उक्त अभियुक्त द्वारा मूल्य समर्थन योजना अन्तर्गत धान खरीद वर्ष 2023/24 में विस्तारित समय अवधि में जनपद में क्रय मात्रा के सापेक्ष शत प्रतिशत सम्प्रदान न कराकर संघ को आर्थिक क्षति पहुँचाया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 684/2025 धारा 3/7 ईसी एक्ट व धारा 409 भादवि उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। घटना में वांछित अभियुक्त को कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, हे0का0 गणेश प्रसाद, का0 अरविन्द तिवारी।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का जुर्माना से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 28.07.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 205/2019 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त विसम्भर हरिजन पुत्र कौलेसर निवासी बाघटोला जलार थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर (हरिजन) को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त विसम्भर हरिजन को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 03 माह का सादा कारावास से भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 रुपये का जुर्माना से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 28.07.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 52/2019 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अनिरुद्ध साहनी पुत्र राममूरत साहनी निवासी खड़वार विसुनपुर थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर (मल्लाह) को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त अनिरुद्ध साहनी को धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 03 माह का सादा कारावास से भुगतना होगा।